8 1.1 billion in June, 1991 to about US $ 5 billion by March 1992 and are being maintained at that level. With the introduction of unified exchange rate, it is expected that Balance of Payments position would improve further.

Levy of Wealth Tax in Jammu and Kashmir

1640 SHRI JAGMOHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court of India has recently ruled that Wealth Tax is leviable in the State of Jammu and Kashmir;

(b) if so, what is the number of cases Where Wealth Tax has now become recoverable; and

(c) what is the amount involved and other material particulars of the cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The number of cases where wealth tax has now become recoverable in the state of Jammu & Kashmir and the amount involved is as under:

Provisional figures as on 21st January, 1993

(i) No. of eases	1172
(ii) Arrear demand outstanding	Rs. 2.60 crores

The above demand could not be recovered doe to the judgement of the Hon'ble Jammu & Kashmir High Court declaring the wealth-tax Act ultra-vires in the state of Jammu & Kashmir. The decision has now been reversed by the Hon'ble Supreme Court and steps as per law are being taken to recover this demand.

दसवें वित्त आयोग द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश

1641. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को क्या क्या निदेश जारी किये गये हैं; और

(ख) उन पर राज्यों की प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के अन्तर्गत गठित वित्त आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है न कि केन्द्रीय सरकार का अंग है । इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 280 (4) के अन्तर्गत आयोग अपने कार्य की पद्धति स्वयं निर्धारित करता है । इसलिए, यह भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियों के दायरे में नहीं आता है ।

विदेशी ऋण

1642. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत पर इस समय किन-किन देशों और किन किन वित्तीय संस्थाओं का ऋण बकाया है और ऐसे ऋणों की धन राशि का ब्यौरा क्या है और

(ख) उपर्युक्त ऋणों पर प्रत्येक वर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) ।

(ख) वर्ष 1992–93 के दौरान बकाया ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि 7356 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।